

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प/ 695 /2014


दिनांक: 25/09/2014

कार्यालय ज्ञाप

सत्र 2014-15 हेतु समस्त सम्बन्धित प्रस्तावित महाविद्यालयों अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों जिन्हें शासन से विभिन्न पाठ्यक्रम संचालन की पूर्वानुमति प्राप्त हुई है किन्तु विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश/पृष्ठांकन निर्गत नहीं हुये हैं, को आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत पूर्वानुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र विश्वविद्यालय को विलम्बतम 20 सितम्बर, 2014 तक उपलब्ध करा दें। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सूचित करना है कि पूर्वानुमति पत्र में उल्लिखित मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु वांछित अर्ह शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हुए उनकी नियुक्ति, संविदा इत्यादि प्रपत्र निर्धारित तिथि (20 सितम्बर, 2014) तक अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि समयान्तर्गत सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा सके तथा सम्बन्धित सत्र का समयान्तर्गत अध्ययन/अध्यापन पूर्ण कराया जा सके।

यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक वांछित प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सम्बद्धता आदेश निर्गत करने व अध्ययन/अध्यापन में विलम्ब का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा एवं बाद की तिथियों में निर्गत सम्बद्धता आदेशों से सम्बन्धित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की परीक्षाएं सत्र 2014-15 की मुख्य परीक्षाओं के साथ न सम्पादित कराने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/महाविद्यालयों का होगा।

भवदीय


(सुखदेव वकार हुसैन)
कुलसचिव